तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामअवतार शर्मा बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बिलाड़ा) सू.अ.अ. अपील संख्या 221 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.20	अपीलार्थी रामअवतार शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा, पता गांव हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.09..20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 26.08. – को प्रार्थी सम्पतराज दाधीच पुत्र शिवनारायण शर्मा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मय तहसीलदार के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक–रीडर / न्यायिक / 2020 / 1455 दिनांक 27.08. – व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना [illegible] लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया। त[illegible] उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई जिससे [illegible] यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसील[illegible] बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Inda
Date: 2021.01.29 14:55:03 IST
Reason: SelfAttested